ईमेल--cfoalm.ukfs@gmail.com.

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अल्मोडा।

पत्रांकः सीएफओ / एन / बीजीआर / 2025(30)

दिनांकः फरवरी 11 ,2025।

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
ST. JOSEPH SCHOOL,
VILLAGE-THUNAI, NADIGAON,
DISTT-BAGESHWAR.

विषय : – अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया ऑनलाइन आवदेन यूनिक नम्बर–19690575, दिनांकः 29.02.2025 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर आवेदक ST. JOSEPH SCHOOL, VILLAGE-THUNAI, NADIGAON, जिला बागेश्वर का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण (सभी मापदण्ड यथा भवन निर्माण उपविधि उत्तराखण्ड शासन एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के मानकों के अनुसार) प्रभारी फायर स्टेशन बागेश्वर से कराया गया, प्रभारी फायर स्टेशन बागेश्वर की निरीक्षण आख्या दिनांक 11–02–2025 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा हेतु एबीसी 04 / 02 किग्रा 12 अदद, सीओटू 4.5 किग्रा 02 अदद, एएफएफएफ टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 09 ली० क्षमता के 01 अदद फायर एक्सिटिंग्यूशर, होजरील 03 अदद मय फिटिंग्स, पन्द्रह हजार लीटर क्षमता का अण्डर ग्राउन्ड वाटर टैंक व आठ हजार लीटर क्षमता का ओवर हैड टैंक स्थापित है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र विभागीय मेल में प्रस्तुत / अपलोड करना आवश्यक होगा तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभारी फायर स्टेशन बागेश्वर की संस्तुति के आधार पर ST. JOSEPH SCHOOL, VILLAGE-THUNAI, NADIGAON, BAGESHWAR, जिला बागेश्वर, (भूतल 05, प्रथम तल 11, द्वितीय तल 07, तृतीय तल 05, कुल 28 कमरों हेतु) का प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांकः 11 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते / सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन / संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि की कार्यवाही सम्बन्धित प्राधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों / एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बागेश्वर।

PRINCIPAL
ST JOSEPH SCHOOL
THUNAI, NADIGAON
BAGESHWAR, U.K. 263642

MANAGER
ST JOSEPH SCHOOL
THUNAI, NADIGAON
BAGESHWAR, U.K 263642